उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

संख्या-153/2026/37के-2/22-3-2026-17(107)/24

लखनऊ : दिनांक: 11 मई, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-1 एवं 2(क) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गणतंत्र दिवस के अवसर पर नारी बंदी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी राधिका देवी (बन्दी संख्या-2311) पत्नी श्री संतोष कुमार, निवासिनी-कटारी, थाना-बीकापुर, जनपद-अयोध्या (फैजाबाद), जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-542/2009 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-06, फैजाबाद के आदेश दिनांक 28-09-2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया, द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 06.02.2026 तक 16 वर्ष, 01 माह, 14 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष, 09 माह, 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण अच्छा है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त महिला बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या।

3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अयोध्या।

4- अधीक्षक, नारी बंदी निकेतन, लखनऊ।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य व सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 तथा क्रिमि0 मिस रिट याचिका संख्या-10493/2025 राधिका देवी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-11-2025 के सन्दर्भ में।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।

7- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in